रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032022-234401 CG-DL-E-23032022-234401

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1231] No. 1231] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2022/चैत्र 2, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2022/CHAITRA 2, 1944

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली. 7 मार्च. 2022

का.आ. 1272(अ).—सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के लिए आधार अधिप्रमाणन के नियम 5 के अनुसरण में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अधिसूचित करता है कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत राष्ट्रीय- ईशासन प्रभाग (एनईजीडी) को एतद् द्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से "डिजिलॉकर" में निवासियों की पहचान हेतु स्वैच्छिक आधार पर, आधार अधिप्रमाणन निस्पादित करने के लिए अनुमति दी जाती है।

2. उपर्युक्त राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी) स्वैच्छिक आधार आधार अधिप्रमाणन के इस्तेमाल के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।

[फा. सं. 3(14)/2015-ईजी II]

श्री अमितेश कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

1958 GI/2022 (1)

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2022

- **S.O. 1272(E).**—In pursuance of rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Electronics and Information Technology notifies that the National e-Governance Division (NeGD) under Digital India Corporation is hereby allowed to perform Aadhaar authentication, on voluntary basis, for identification of residents in "DigiLocker" with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.
- 2. The said National e-Governance Division (NeGD) shall follow the guidelines issued by the Central Government with respect to use of the Aadhaar authentication on voluntary basis.

[F. No. 3(14)/2015-EG-II]

Sh. AMITESH KUMAR SINHA, Jt. Secy.